

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थी

अप्रार्थी

1 श्री मगनलाल पुत्र श्री भावाजी
जाति कुम्हार नि. बरलूट
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

1-स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अधारा 152 सी.पी.सी

रा.वि.प्रा.पत्र सं. 02/2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14.06.2024	<p>पत्रावली मंगाने पर प्रस्तुत हुई । प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्रकुमार मेडतीया उप.। जिन्होंने प्रार्थना-पत्र अधारा 152 सीपीसी का प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18-10-2021 को प्रकरण संख्या 15/2021 मगनलाल बनाम स्टेट व अन्य में पारित आदेश में लिपिकीय त्रुटि से आदेश में खाता संख्या 549, 106 व 107 सेवन से दर्ज नहीं हुआ है जो लिपिकीय त्रुटि से उक्त गलती हुई जो कबिल संशोधन के है । अतः मूल आदेश में खाता संख्या 549, 106 व 107 अंकित करना फरमावे।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रथम दृष्टया प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधारा 152 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर उक्त लिपिकीय त्रुटि को दुरुस्त कर प्रकरण संख्या 15/2021 मगनलाल बनाम स्टेट में पारित आदेश दिनांक 18-10-2021 में खाता संख्या 549, 106 व 107 जोडे जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त प्रार्थना मूल प्रार्थना पत्र संख्या 15/2021 मगनलाल बनाम स्टेट के साथ नत्थी हो ।</p>	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही